न्यायालय सहायक कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी का नाम :—डॉ0 गोरधन लाल शर्मा(आर0ए0एस0)
दावा संख्या:— (14/16) 67/2017
दायर दिनांकः— (19.02.2016) 21.11.2017
निर्णय दिनांकः— 21.02.2019

उनवान

मूर्ति मन्दिर श्री मस्तवाला हनुमानजी विराजमान ग्राम भाण्डारेज तह0 दौसा जिला दौसा जरिये व्यवस्थापक(नेक्सट फ्रेन्ड)

1. रामचन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 श्री बजरंगलाल जी
2. मोतीलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री बजरंगलाल जी
3. छगनलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री बजरंगलाल जी
4. सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री बजरंगलाल जी

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम भाण्डारेज तह0 दौसा जिला दौसा

(वादीगण)

बनाम

1 रामसुखा पुत्र स्व0 श्री जोहर्‌या जाति माली (फौत)
1/1मु. नाथी बेवा स्व0 श्री रामसुखा
1/2 सुरेश पुत्र स्व0 श्री रामसुखा
1/3 हजारी पुत्र स्व0 श्री रामसुखा
1/4 मीरा पुत्री स्व0 श्री रामसुखा
1/5 विमला पुत्री स्व0 श्री रामसुखा
1/6 मंजू पुत्री स्व0 श्री रामसुखा
1/7 छोटी बाई पुत्री स्व0 श्री रामसुखा
1/8 सविता पुत्री स्व0 श्री रामसुखा

2.रामकरण पुत्र स्व0 श्री जोहर्‌या जाति माली
3.प्रभू पुत्र स्व0 श्री जोहर्‌या जाति माली
4 कैलाश पुत्र स्व0 श्री जोहर्‌या जाति माली
5 छोट्‌या पुत्र स्व0 श्री जोहर्‌या जाति माली
6 श्रीमति मूली देवी पुत्री स्व0 श्री जोहर्‌या जाति माली
7. पून्या पुत्र छाज्या जाति मालि(फौत)

सहायक कलेक्टर
दौसा

7/1 श्रीमति धापा देवी बेवा स्व. श्री पून्या

7/2 रमेश पुत्र स्व. श्री पून्या

7/3 कमलेश पुत्र स्व. श्री पून्या

7/4 उगन्ती पुत्री स्व. श्री पून्या

7/5 सुप्यार पुत्री स्व. श्री पून्या

7/6 मनभर पुत्री स्व. श्री पून्या

7/7 ममता पुत्री स्व. श्री पून्या समस्त जाति मालीयान निवासी ग्रम भाडारेज

8. लल्लू पुत्र स्व. श्री रामधन जाति माली

9. जगदीश पुत्र स्व. श्री रामधन जाति माली

10. श्रीमति शांति पुत्री स्व. श्री रामधन जाति माली

11. श्रीमति कमली पुत्री स्व. श्री रामधन जाति माली

12. श्रीमति राजन्ती पुत्री स्व. श्री रामधन जाति माली

13. सीताराम पुत्र स्व. श्री झूंथा जाति माली

14. रमसी पुत्र स्व. श्री झूंथा जाति माली

निवासीयान ग्रम भांडारेज तहसील व जिला दौसा

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा तहसील दौसा जिला दौसा

16. सब रजिस्ट्रार दौसा तहसील व जिला दौसा

दावा अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उक्त वाद में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाण्डारेज तह0 दौसा जिला दौसा पूर्व में रावल कुबेर सिंह राजावत ठिकाना धूला की जागीर का ग्राम था। जागीर के समय खसरा न0– 2147 रकबा 13 बिस्वा में वादी मूर्ति मन्दिर श्री मस्तावाला हनुमानजी विराजमान चले आ रहे है। उक्त मन्दिर की सेवा पूजा भोगरास, उत्सव आदि व्यवस्थापकों के पूर्वजों के समय से आज दिन तक होती आ रही है।

यह कि जागीर अधिग्रहण होने के समय उक्त खसरा न0– 2147 में वादी मूर्ति मन्दिर श्री मस्तावाला हनुमानजी विराजमान रहे है उनके भोग–खर्च के लिए खसरा न0 2144, 2151, 2152, 2153 व 2154 की भूमि मूर्ति मन्दिर के भोग खर्च के लिए तत्कालीन जागीरदार रावल कुबेर सिंह जी राजावत धूला ने दिनांक 30.04.1950 को दी एवं मूर्ति मन्दिर के नाम व्यवस्थापकों के दादा स्व0 श्री श्यो प्रताप जी को पट्टा दिया।

यह कि भुमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत उक्त समस्त आराजी पर एवं वादग्रस्त खसरा न0 2147 पर वादी मूर्ति मन्दिर बाई आपरेशन ऑफ ला खातेदार हो गया।

यह है कि ग्राम भाण्डारेज का सम्वत 2019 में भूमि एकीकरण हुआ है। एकीकरण में उक्त खसरा न0– 2147 का खसरा न0 381 रकबा 13 बिस्वा बनाया गया। भूमि एकीकरण के कारकूनान द्वारा गलती से खसरा न0–381 गै0मु0 मन्दिर वादी को

सहायक कलेक्टर
दौसा

सिवाय चक के खाते में अंकित कर दिया गया, जबकि वादी मूर्ति मन्दिर को उक्त आराजी खातेदारी अधिकारी जागीर अधिगृहण के समय ही प्राप्त हो गये थें।

यह है कि वर्तमान बन्दोबस्त में वादी मूर्ति मन्दिर की कृषि भूमि खसरा न0 1085 लगायत 1087,1090,1092 लगायत 1102 कुलकिता 15 कुल रकबा 5.55 हैक्टयर वादी मूर्ति मन्दिर के नाम खातेदारी अंकित की गई किन्तु निज मन्दिर खसरा न0 381 से बने वर्तमान खसरा न0 1088 रकबा 0.1100 हैक्टयर को गलत मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा न0 376 से बनना बताकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के नाम खातेदारी में अनुचित व अवैध रूप से गलत दर्ज कर दी है जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी हकदार है।

गत खसरा न0 2147 से एकीकरण में खसरा न0 381 मुताबिक मौका व नक्शा सही बनाया गया। वर्तमान बंदोबस्त विभाग ने जो हाल खसरा न0 1088 रकबा 0.1100 हेक्टयर बनाया है जो मुताबिक मौका व नक्शा से साबिक खसरा न0 381 से बनना स्पष्ट होता है हाल खसरा न0 1088 को वर्तमान भू–प्रबन्ध के कारकूनान ने मिलान क्षेत्रफल मे साबिक खसरा न0 376 से बनना बताकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के खातेदारी मे दर्ज कर दिया है जिसका की उनको कोई अधिकार नही है वादी उसकी दुरूस्ती करवाने का कानूनन अधिकारी है।

वर्तमान खसरा न0 1088 मे वादी मूर्ति मन्दिर बिराजमान है इस भूमि मे मिट्टी की डोल लगा रखी है तथा एक टीन शेड मूर्ति मन्दिर श्री मस्तावाला हनुमान जी के भोग की प्रसादी के लिए लगा रखी थी एवं वादी मूर्ति मन्दिर के पत्थर पडे हुए है, दो नीम के पेड करीब 200 वर्ष पुराने लगे है जिसके चारो ओर सीमेन्ट का पक्का चबूतरा बना हुआ है। मूर्ति मन्दिर के चारो ओर परिक्रमा के लिए करीबन 3–3 फीट की सीमेन्ट की फर्श बनी हुई है तथा मूर्ति मन्दिर के पीछे की ओर याने दक्षिण की ओर प्रेत राज का पक्का चबूतरा बना हुआ है मूर्ति मन्दिर के पूर्व की तरफ पत्थर के पक्के थावले बने हुए है तथा एक पेड नीम का ओर भी लगा हुआ है जो मूर्ति मन्दिर की मिटटी की डोली के उपर स्थित है तथा मूर्ति मन्दिर के उतरी पूर्वी कोने पर पीपल का पेड लगा हुआ है तथा उक्त मूर्ति मन्दिर के उत्तर दिशा में व पूर्व दिशा में समाधी स्थल बने हुए है। भू प्रबन्ध विभाग के कारकूनान द्वारा किये गये गलत राजस्व अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 देव मूर्ति को बेदखल करने व कब्जा करने पर आमादा है व तत्पर है जिस क्रम में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 व उनके गिरोह के व्यक्ति दिनांक 9.01.2016 को मौके पर देव मूर्ति को वेदखल कर कब्जा करने आये व देव मूर्ति के खसरा न0 1088 मे लगे टीनशेड को तोड दिया व पत्थर उठाकर ले जाने लग गये, जिसे पुलिस थाना सदर दौसा को वादी मूर्ति मन्दिर के व्यवस्थापक ने फोन कर उक्त कृत्य की सूचना दी। जिस पर एस.एच.ओ. सदर थाना दौसा मय जाप्ते मोके पर आये और प्रतिवादी संख्या 8 लल्लू व उसके पुत्र मुकेश को धारा 107,116(3) व 151 जाप्ता फौजदारी मे गिरफ्तार किया गया बाकी प्रतिवादीगण मौके से पुलिस को देखकर फरार हो गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत

सहायक कलेक्टर
दौसा

14 के उक्त कृत्यों से वादी को पूर्ण संभावना हो गई है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 वादी मूर्ति मन्दिर को वादग्रस्त खसरा न0 1088 से बेदखल कर कब्जा कर सकते है व उपयोग व उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर सकते है व गलत रूप से अंकित की गई खातेदारी के आधार पर मूर्ति मन्दिर की भूमि खसरा न0 1088 को रहन,व्यय,मुन्तकिल कर सकते है।

यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 14 को कोई अधिकार नही है कि वो राजस्व रिकार्ड के आधार पर वह उसका गलत दुरूपयोग कर वादी देव मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है को बेदखल करे व उसके उपयोग व उपभोग बाधा कारित करें व रहन बय, मुन्तकिल करें वादी देव मूर्ति घोषणा अधिकार एवं दुरूस्ती इन्द्राज तथा प्रतिवादीगण को प्रार्थनीय स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद स्वीकार कर ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा स्थित ख0न0 1088 रकबा 0.11 है0 भूमि की अधिघोषणा देवमूर्ति श्री मस्तावाला हनुमानजी के नाम खातेदारी अधिकारी घोषित करने हेतु अनुतोष चाहा गया है।

वादीगण के द्वारा उक्त वाद न्यायालय में पेश करने पर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व दिनांक 31.01.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1,3,8 व 13 को जवाबदावा पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब बन्द किया गया। वादी के द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ–पत्र पेश करने पर प्रकरण को बहस में नियत किया गया। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई। वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा लिखित बहस का भी अवलोकन और विश्लेषण किया गया।

नकल खसरा बन्दोबस्त सरदार सभा ग्राम भाण्डारेज ठिकाना धूला निजामत दौसा(प्रदर्श–1), भूमि एकीकरण विभाग मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2019(प्रदर्श–3), भूमि एकीकरण का नक्शा सम्वत् 2019(प्रदर्श–6) वर्तमान का नक्शा(प्रदर्श–9) आधार वर्ष की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 (प्रदर्श–10) के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न01088 रकबा 0.11 है0 भूमि मस्तावाला मन्दिर की भूमि होना पाया जाता है। प्रतिवादीगण की साबिक जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत् 2032–2035(प्रदर्श–12) का भी अवलोकन किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण के पूर्वजो जोहरया, पून्या पुत्रान छाज्या माली के नाम 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान मैट्रिक प्रणाली रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि की नियमानुसार 7.00 है0 भूमि ही दर्ज रिकॉर्ड होनी चाहिए थी,

सहायक कलेक्टर
दौसा

परन्तु प्रतिवादीगण के खाते में 7.15 है0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण के खाते में साबिक रिकॉर्ड की तुलना में 0.15 है0 भूमि अधिक दर्ज रिकॉर्ड है। भूप्रबंधन (सेटलमेंट) ऑपरेशन के दौरान मन्दिर की भूमि के साबिक ख0न0 381 से बने वर्तमान ख0न0 1088 रकबा 0.11 है0 का मिलान क्षेत्रफल प्रतिवादीगण के साबिक ख0न0 376 से बनना अंकित कर दिया गया जिसे अवैध रूप से प्रतिवादीगण के खातें में भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अंकित किया गया था जिसका भूप्रबंधन विभाग को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं लिखित बहस का अवलोकन कर मनन एवं विश्लेषण किया गया और यह पाया कि भूप्रबंधक विभाग द्वारा किये गये इस क्षेत्रातीत त्रुटि को दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम भाण्डारेज स्थित ख0न0 1088 रकबा 0.11 है0 भूमि को प्रतिवादीगण के खाते से कम किया जाकर वादी मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी मस्तावाला विराजमान ग्राम भाण्डारेज को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि उक्त ख0न0 1088 रकबा 0.11 है0 भूमि को उक्त मन्दिर के खाता संख्या 740 सम्वत् 2067 से 2070 में दर्ज रिकार्ड किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

डॉ0 गोरधन लाल शर्मा(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर दौसा
(अति0चार्ज)